

प्रेषक,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासना  
सेवा में,  
महासमादेष्टा,  
होमगार्डस, 30प्र0,  
लखनऊ।

होमगार्ड अनुभाग

लखनऊ दिनांक : 17 नवम्बर, 2017

विषय- नगर निकाय चुनाव 2017 में होमगार्डस स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन हेतु धनराशि अग्रिम आहरण किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8560/लेखा/न0नि0निर्वा0-56/2017, दिनांक 09 नवम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या-28/2017/2136/पन्चानवे-17-11 बजट/06, दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निकाय चुनाव 2017 के अवसर पर होमगार्डस स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन हेतु ड्यूटी भत्ते में अनुमानित व्यय रू0 18,23,18,490/- का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 9,11,59,245/- (रूपये नौ करोड ग्यारह लाख उनसठ हजार दो सौ पैतालिस मात्र) के नकद अग्रिम अहरित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस(1)69 दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15(1)69 दिनांक 10.06.2011 तथा दिनांक 18.08.2017 व 15.11.2017 के अन्तर्गत निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का समायोजन 31 मार्च, 2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय सुसंगत शासनादेशों, नियमों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार किया जायेगा।

(4) धनराशि के व्यय के उपरान्त यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा अवशेष धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

.....2

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

.....2.....

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1136(2)/दस-2017 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(सत्येन्द्र कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/2017/2136(2)/पन्चानवे-17-तददिनांक।

प्रतिलिखित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशर :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ
5. वित्त नियंत्रक, होमगार्डस मुख्यालय, 30प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
9. बजट सहायक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(सत्येन्द्र कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।